सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2023/261(101/23) दर्ज तिथिः—02.08.2023

1. मंगलाराम पुत्र पदमाराम
   जाति राईका निवासी मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
   .....वादी

बनाम

1. सवाराम पुत्र पदमाराम
2. ठाकराराम पुत्र पदमाराम
3. पताराम पुत्र पदमाराम
4. चेलाराम पुत्र पदमाराम
   जाति राईका निवासी मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
   .....असल प्रतिवादीगण
5. तहसीलदार एवं उपपंजीयक गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
   .....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री जगदीश विश्नोई
प्रतिवादीगणः—श्री पूनमाराम विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—53,188
राजस्थान काश्तकारी अधि—1955

—:निर्णयः—

संशोधित निर्णय तिथिः—06.03.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 130/0.0405 है0, 131/12.9580 है0 मौजा मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.13 19:10:07 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 के अतिरिक्त शेष प्रतिवादीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रकरण में अभिभाषक उभपक्षकारान की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीगण द्वारा दौरान—ए—बहस बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने पर सहमति प्रदान करने पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 06.05.2024 को जारी की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/भू0अ0/2024/2266 दिनांक 07.11.2024 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई।

3. प्रकरण में वादीगण की बहस अनुसार अंतिम निर्णय दिनांक 06.03.2025 को किया गया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 एवं 03 द्वारा प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा—152 सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रतिवादी संख्या 01 एवं 03 द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर विभाजन प्रस्ताव में प्रतिवादी संख्या 01 एवं 03 के हिस्से में प्रस्तावित धोरे वाली जमीन के बदले 02 बीघा भूमि वादी के हिस्से में से प्रस्तावित किया जाना तय हुआ। उक्त 02 बीघा भूमि वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 एवं 03 के हिस्से में प्रस्तावित करने हेतु उपस्थित न्यायालय होकर सहमति प्रदान की गई थी। परंतु न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 06.03.2025 में कलमी भूल से प्रतिवादी संख्या 01 सवाराम एवं प्रतिवादी संख्या 02 ठाकराराम हेतु उक्त दो बीघा भूमि प्रस्तावित कर दी गई। अतः निर्णय दिनांक 06.03.2025 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त सहमति से प्रतिवादी संख्या 01 सवाराम एवं प्रतिवादी संख्या 02 ठाकराराम को प्रस्तावित भूमि के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 01 सवाराम एवं प्रतिवादी संख्या 03 पताराम संशोधन किये जाने का निवेदन है।

4. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 एवं 03 द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत की गई है। जिस पर वादी द्वारा उपस्थित न्यायालय होकर नजरी नक्शा में दर्शित भूमि प्रतिवादी संख्या 01 एवं 03 को प्रस्तावित किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गई। प्रकरण में हाजा न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.03.2025 में कलमी भूल से उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 को दिये जाने के आदेश दिये गये हैं। अतः उक्तानुसार तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में पक्षकारान सहमति के

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.13 19:10:07 IST
Reason: SelfAttested

मद्देनजर निर्णय दिनांक 06.03.2025 में प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 हेतु प्रस्तावित भूमि के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 01 सवाराम एवं प्रतिवादी संख्या 03 पताराम का संशोधन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5. प्रकरण में मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रतिवादी संख्या 01 व 03 द्वारा असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय होकर मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव में प्रतिवादी संख्या 01 व 03 को प्रस्तावित की गई भूमि वादीगण को प्रस्तावित की गई भूमि से अपेक्षाकृत कम उपजाऊ भूमि होने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 व 03 को वादीगण हेतु प्रस्तावित आराजी में से दो बीघा आराजी दिलवाई जावे। उक्त आराजी के बदले में प्रतिवादी संख्या 01 व 03 हेतु प्रस्तावित भूमि में से दो बीघा भूमि वादीगण को उपलब्ध करवाने हेतु सहमत हैं। उक्त आपत्ति पर वकील वादी द्वारा सहमति प्रदान की गई तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ./2024/2266 दिनांक 07.11.2024 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 29.10.2024 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस पत्रांक 731—735 दिनांक 08.07.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 29.10.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस पत्रांक 731—735 दिनांक 08.07.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 29.10.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.13 19:10:07 IST
Reason: SelfAttested

6. प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2072—2075 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 130/0.0405 है0, 131/12.9580 है0 मौजा मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 व 03 द्वारा प्रार्थना—पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 01 व 03 को प्रस्तावित की गई भूमि वादीगण को प्रस्तावित की गई भूमि से अपेक्षाकृत कम उपजाऊ भूमि होने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 व 03 को वादीगण हेतु प्रस्तावित आराजी में से दो बीघा आराजी दिलवाई जावे। उक्त आराजी के बदले में प्रतिवादी संख्या 01 व 03 हेतु प्रस्तावित भूमि में से दो बीघा भूमि वादीगण को उपलब्ध करवाने हेतु सहमत हैं। साथ ही उक्त आपत्ति पर वकील वादी द्वारा सहमति प्रदान की गई हैं। अतः वकील वादी की सहमति के अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 एवं 03 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/भू0अ0/2024/2266 दिनांक 07.11.2024 द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव में वादीगण हेतु प्रस्तावित भूमि में से 02 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 व 03 को तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 03 को प्रस्तावित भूमि में 02 बीघा भूमि वादीगण को पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार दिया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा—ट्रेस एवं पक्षकारान सहमति के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

7. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जिन पर विश्लेषण इस प्रकार हैः—

प्रथम— स्वामित्व एवं कब्जाः— प्रकरण के बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह—काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय— सुविधा का सन्तुलनः— प्रकरण में बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं । प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.13 19:10:07 IST
Reason: SelfAttested

किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय— अपूरणीय क्षतिः— प्रकरण में बाद तकसीम पृथक—पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद—रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

8. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 130/0.0405 है0, 131/12.9580 है0 मौजा मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 03 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर वादी की सहमति के नजरी नक्शा अनुसार नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
मंगलाराम पुत्र पदमाराम हि0 पूर्ण जाति राईका सा0 देह खातेदार	मालियों की ढाणी	130 131 131	0.0405 2.0595 0.4197	गै0मु0 बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 03 रकबा 2.5197 है0				
चैलाराम पुत्र पदमाराम हि0 पूर्ण जाति राईका सा0 देह खातेदार	मालियों की ढाणी	131	2.5197	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 2.5197 है0				
ठाकराराम पुत्र पदमारा हि0 पूर्ण जाति राईका सा0 देह खातेदार	मालियों की ढाणी	131	2.1000	बा0दो0

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.13 19:10:07 IST
Reason: SelfAttested

ठाकराराम पुत्र पदमारा हि0 1/2 जाति राईका सा0 देह खातेदार सवाराम पुत्र पदमाराम हि0 1/2 जाति राईका सा0 देह खातेदार	मालियों की ढाणी	131	0.5397	बा0दो0
ठाकराराम पुत्र पदमारा हि0 1/2 जाति राईका सा0 देह खातेदार सवाराम पुत्र पदमाराम हि0 1/2 जाति राईका सा0 देह खातेदार	मालियों की ढाणी	131	0.4197	बा0दो0
कुल किता 03 रकबा 3.0594 है0				
पाताराम पुत्र पदमाराम हि0 पूर्ण जाति राईका सा0 देह खातेदार	मालियों की ढाणी	131 131	1.9800 0.5397	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 2.5197 है0				
सवाराम पुत्र पदमाराम हि0 पूर्ण जाति राईका सा0 देह खातेदार	मालियों की ढाणी	131	1.9800	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 1.9800 है0				
रास्ते के लिये संयुक्त भूमि खाता संख्या 137 (चैलाराम, ठाकराराम, पाताराम, मंगलाराम, सवाराम पि. पदमाराम हि0 पूर्ण जाति राईका सा0 देह खातेदार)	मालियों की ढाणी	131	0.4000	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.04000 है0				
नोटः—पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में वादीगण हेतु प्रस्तावित भूमि में से 02 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 एवं 03 को एवं प्रतिवादी संख्या 01 एवं 03 हेतु प्रस्तावित भूमि में से 02 बीघा भूमि वादीगण को दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष विभाजन एवं रकबा अप्रभावित रहेगा।				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह संशोधित निर्णय आज दिनांक 17.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.13 19:10:07 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2023/261(101/23) दर्ज तिथिः—02.08.2023

1. मंगलाराम पुत्र पदमाराम
   जाति राईका निवासी मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
   .....वादी

बनाम

1. सवाराम पुत्र पदमाराम
2. ठाकराराम पुत्र पदमाराम
3. पताराम पुत्र पदमाराम
4. चेलाराम पुत्र पदमाराम
   जाति राईका निवासी मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
   .....असल प्रतिवादीगण
5. तहसीलदार एवं उपपंजीयक गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
   .....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री जगदीश विश्नोई
प्रतिवादीगणः—श्री पूनमाराम विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—53,188
राजस्थान काश्तकारी अधि—1955

—:संशोधित पर्चा डिक्रीः—

दावा वादी अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 130/0.0405 है0, 131/12.9580 है0 मौजा मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 03 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर वादी की सहमति के नजरी नक्शा अनुसार नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.13 19:10:07 IST
Reason: SelfAttested

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
मंगलाराम पुत्र पदमाराम हि0 पूर्ण जाति राईका सा0 देह खातेदार	मालियों की ढाणी	130 131 131	0.0405 2.0595 0.4197	गै0मु0 बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 03 रकबा 2.5197 है0				
चैलाराम पुत्र पदमाराम हि0 पूर्ण जाति राईका सा0 देह खातेदार	मालियों की ढाणी	131	2.5197	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 2.5197 है0				
ठाकराराम पुत्र पदमारा हि0 पूर्ण जाति राईका सा0 देह खातेदार	मालियों की ढाणी	131	2.1000	बा0दो0
ठाकराराम पुत्र पदमारा हि0 1/2 जाति राईका सा0 देह खातेदार सवाराम पुत्र पदमाराम हि0 1/2 जाति राईका सा0 देह खातेदार	मालियों की ढाणी	131	0.5397	बा0दो0
ठाकराराम पुत्र पदमारा हि0 1/2 जाति राईका सा0 देह खातेदार सवाराम पुत्र पदमाराम हि0 1/2 जाति राईका सा0 देह खातेदार	मालियों की ढाणी	131	0.4197	बा0दो0
कुल किता 03 रकबा 3.0594 है0				
पाताराम पुत्र पदमाराम हि0 पूर्ण जाति राईका सा0 देह खातेदार	मालियों की ढाणी	131 131	1.9800 0.5397	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 2.5197 है0				
सवाराम पुत्र पदमाराम हि0 पूर्ण जाति राईका सा0 देह खातेदार	मालियों की ढाणी	131	1.9800	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 1.9800 है0				
रास्ते के लिये संयुक्त भूमि खाता संख्या 137 (चैलाराम, ठाकराराम, पाताराम, मंगलाराम, सवाराम पि. पदमाराम हि0 पूर्ण जाति राईका सा0 देह खातेदार)	मालियों की ढाणी	131	0.4000	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.04000 है0				
नोटः—पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में वादीगण हेतु प्रस्तावित भूमि में से 02 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 एवं 03 को एवं प्रतिवादी संख्या 01 एवं 03 हेतु प्रस्तावित भूमि में से 02 बीघा भूमि वादीगण को दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष विभाजन एवं रकबा अप्रभावित रहेगा।				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.13 19:10:07 IST
Reason: SelfAttested

कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह संशोधित डिक्री आज दिनांक 17.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.13 19:10:07 IST
Reason: SelfAttested